न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जयप्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 04 / 2009 / रेफरेन्स

मूर्ति मन्दिर श्री नृसिंह जी वाके ग्राम मुंडरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर जरिये हितमित्र मक्खनलाल पुत्र दीनानाथ जाति ब्राहमण निवासी मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

प्रार्थी

बनाम

1. सुमेर } पुत्रगण श्रीकिशन जाति मीणा
2. बन्नाराम }
3. मुरली } पुत्रगण लादू
4. श्रवण }
5. जगदीश यादव पुत्र गोपाल यादव निवासी ढाणी अमरसिंह वाली तन मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
6. कालू पुत्र नारायण जोगी
7. एस.बी.बी बैंक लि0 सीकर

अप्रार्थीगण

रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 भू—राजस्व अधिनियम 1956

वकील प्रार्थी श्री सोहनलाल

निर्णय **दिनांकः—30.09.2019**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इस प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी मूर्ति मंदिर श्री नृसिंह जी वाकै ग्राम मुण्डरू तह0 श्रीमाधोपुर जिला सीकर सार्वजनिक मंदिर है और आस—पास की हिन्दु जनता ओर प्रार्थी मूर्ति मंदिर का हितमित्र की धार्मिक आस्था और भक्ति का केन्द्र रहा है। मूर्ति मंदिर नृसिंह जी वाके ग्राम मुण्डरू के खाते कब्जे, काश्त की भूमि पुराने ख0नं0 1512 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा पुख्ता ग्राम मण्डरू तह0 श्रीमाधोपुर की तन मे अविस्थित रही है। उक्त भूमि मे मूर्ति मंदिर नृसिंह जी की ओर से बनाया हुआ एक कुआ और मूर्ति मंदिर के पुजारीगण तथा अन्यों के शमशान रहे है। अभिनव भू—प्रबन्ध द्वारा उक्त कुए के ख0नं0 2780 व शमशान के ख0नं0 2778 तथा शेष भूमि के ख0नं0 2729 तथा 2781 राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे दर्ज किये गये है। कुआ व शमशान ख0नं0 2780 व 2778 का राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के खाता मूर्ति मंदिर के नाम शुरू से आज तक रहा है और वर्तमान मे ख0नं0 2779 व 2781 का खाता गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 4 के नाम है। प्रार्थी मूर्ति मंदिर श्री नृसिंह जी वाकै ग्राम मुंडरू की ओर से उक्त भूमियों की काश्त समय समय पर विभिन्न व्यक्तियो द्वारा कभी बांटे पर और कभी मजदूरी पर करवायी जाती रही है, प्रत्यार्थी सं0 1 से 4 व इनके पूर्वज लादू पुत्र धोकल मीणा निवासी मुण्डरू से भी

राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी अपने नाम करवाली, जो किसी भी दृष्टि से उचित कानून सम्मत व न्यायसंगत नही है। मूर्ति मंदिर नृसिंह जी वाकै मुण्डरू शाश्वत अवयस्क की संज्ञा मे आते है। राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 ओर अवयस्कता अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार शाश्वत अवयस्क की कृषि भूमि का खाता मूर्ति मंदिर के नाम से हटाकर किसी के भी नाम दर्ज नही किया जा सकता है, उपरोक्त भूमि का प्रत्यार्थी सं0 1 से 4 व इनके पूर्वजों के नाम दर्ज खातेदारी इन्द्राजात सर्वथा अवैध अनाधिकृत शुन्य ओर प्रभावहीन की संज्ञा मे आते है। उपरोक्त भूमि पुराने ख0नं0 1512 नवीन ख0 नं0 2779 व 2781 वाकै ग्राम मुण्डरू का खाता प्रत्यार्थी सं0 1 से 4 के नाम हजफ किया जाकर पुनः प्रार्थी मूर्ति मंदिर नृसिंह जी वाकै मुण्डरू के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जाना उचित आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अतः रेफरेन्स आवेदन पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि पुराने खसरा नम्बर 1512 नये खसरा नम्बर 2779व 2781 वाके ग्राम मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जो कि प्रार्थी मूर्ति मन्दिर नृसिंह जी वाकै ग्राम मुण्डरू के खाते कब्जे की रही है, का खाता प्रत्यर्थीगण संख्या 1 ता 4 व इनके पूर्वजों द्वारा राजस्व रिकार्ड में अपने नाम गलत रूप से करवा लिया है, को हजफ करने व उक्त भूमि का खाता पुनः प्रार्थी मूर्ति मन्दिर नृसिंह जी वाकै मुण्डरू के नाम करने राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने निमित्त प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर को रेफरेन्स किया जाना प्रार्थनीय है।

विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2017 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात खसरा नम्बर 1512 की खातेदारी माफी मन्दिर श्री नृसिंह जी वाके देह हाजा एतमाम पुजारी ठंडूराम रामप्रताप तुलसीराम दीनानाथ पि. रामदेव मन्नालाल वल्द रामकवार द्वारका प्रसाद पुत्र नानगराम गोकुलचन्द वल्द रामचन्द्र ब्राहमण हिस्सा बराबर–बराबर सा.देह जिसके कृषक के कॉलम में लादू वल्द धोकल कोम मीना सा.देह के नाम से दर्ज रिकार्ड रही है। भू–प्रबन्ध के दौरान साबिक खसरा नम्बर 1512 जिसके नये खसरा नम्बर 2779 रकबा 0.86 है0 व खसरा नम्बर 2781 रकबा 0.30 है0 अंकित कर दिये गये। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2062 से 2065 के मुताबिक वादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 2779 रकबा 0.86 है0 किस्म चाही 1 बारानी व खसरा नम्बर 2781 रकबा 0.30 है0 किस्म चाही 1 बारानी की खातेदारी श्रीकिशन मुरली श्रवण पि. लादू कौम मीना सा.देह खातेदार राहिन श्रवण का हिस्सा 1/3 मूर्तहीन के नाम से दर्ज रिकॉर्ड अंकित है। जमाबन्दी सम्वत् 2017 के मुताबिक उपरोक्त आराजियात खसरा नम्बर 1512 की खातेदारी माफी मन्दिर श्री नृसिंह जी वाके देह हाजा एतमाम पुजारी ठंडूराम रामप्रताप तुलसीराम दीनानाथ पि. रामदेव मन्नालाल वल्द रामकवार द्वारका प्रसाद पुत्र नानगराम गोकुलचन्द वल्द रामचन्द्र ब्राहमण हिस्सा बराबर–बराबर सा. देह जिसके कृषक के कॉलम में लादू वल्द धोकल कोम मीना सा.देह के नाम दर्ज रिकार्ड रही है एवं जमाबन्दी सम्वत् 2062–2065 के मुताबिक बिना किसी आदेश के उपरोक्त आराजियात की खातेदारी मन्दिर के स्थान पर श्रीकिशन मुरली श्रवण पि. लादू कौम मीना सा.देह खातेदार राहिन श्रवण का हिस्सा 1/3 मूर्तहीन के नाम से दर्ज रिकार्ड अंकित कर दी गई। उपरोक्त आराजियात की खातेदारी माफी मन्दिर श्री नृसिंह जी के नाम से दर्ज रिकार्ड होने के बावजूद गलत रूप से अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज कर दी गई, जो बिना किसी आदेश के दर्ज कर दी गई है। मूर्ति मन्दिर की खातेदारी में दर्ज भूमियों पर किसी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निष्कर्षतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर ग्राम मुण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 1512 जिसके नये खसरा नम्बर 2779, 2781 की खातेदारी अन्य खातेदारान के नाम दर्ज हुई है, जो निरस्त होने योग्य है। खातेदारी निरस्त किये जाने की अभिशंषा के साथ पत्रावली माननीय निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजकर अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि पुनः माफी मन्दिर श्री नृसिंह जी के नाम दर्ज की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/9/19

(जयप्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official